U.T. विपक्षी 1,2,3 [illegible]

8/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। विपक्षी संख्या 1, 2, 3 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं एकपक्षीय कार्यवाही की गई। जवाब हेतु अवसर प्रदान किया जाता। पत्रावली वास्ते जवाब के दिनांक 10/9/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

22/8/25 प्रार्थीया की ओर से प्रार्थीया के अधिवक्ता एवं प्रार्थीया स्वयं ने हाजिर होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन पत्र [illegible] की [illegible] पेश किया जाता जिस पर पत्रावली की [illegible] की गई। पत्रावली का एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी को एवं वकील विपक्षीगण को सुना गया। वादीया ने प्रार्थना पत्र को [illegible] [illegible] किया गया। अतः वादीया को प्रार्थना पत्र [illegible] करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:30:35 IST
Reason: SelfAttested

मालिक ।

Scanned with OKEN Scanner